सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 19 राँची, शुक्रवार, 5 जनवरी, 2024 (ई०)

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग

संकल्प

17 अक्टूबर, 2023

विषय: The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, The Aadhaar and other Laws (Amendment) Act, 2019 के प्रावधानों के तहत UIDAI द्वारा अधिसूचित किये गए Aadhaar (Data Security) Regulation, 2016 एवं Aadhaar (Sharing of Information) Regulation, 2016 के आलोक में झारखण्ड सरकार के Aadhaar Ecosystem के लिए "Information Security Policy for Aadhaar Ecosystem, 2023" एवं "Data Privacy Policy for Aadhaar Ecosystem, 2023" के संबंध में ।

संख्या- 3088--राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा UIDAI के Information Asset का प्रयोग कर नागरिकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती है । UIDAI के Information Asset की सुरक्षा सर्वोपरि है एवं इन विभागों द्वारा UIDAI के Information Asset की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता को हर समय सुनिश्चित किया जाना है ।

वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग Authentication User Agency (AUA)/e-KYC User Agency (KUA) के तौर पर UIDAI के साथ On-boarded है । सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा लाभुकों की पहचान एवं आधार आधारित सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/संस्थाओं/कार्यालयों को आधार प्रमाणीकरण सेवाएँ यथा-आधार OTP प्रमाणीकरण, बायोमैट्रीक प्रमाणीकरण (फिंगरप्रिंट/आईरिस), डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण एवं आधार ई-केवाईसी (फिंगरप्रिंट/आईरिस/OTP) प्रदान की जाती है ।

2. The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 एवं The Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019 को विधि एवं न्यायमंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है । उक्त अधिनियम के अध्याय-6 “Protection of Information’’ में निहित प्रावधानों के आलोक में UIDAI द्वारा Aadhaar (Data Security) Regulation, 2016 एवं Aadhaar (Sharing of Information) Regulation, 2016 को अधिसूचित किया गया है ।

3. उपरोक्त Regulations में निहित प्रावधानों के आलोक में UIDAI द्वारा “Information Security Policy” एवं “Model Privacy Policy for Requesting Entities” को सभी ASA एवं AUA के साथ साझा करते हुए सभी ASA/KSA एवं AUA/KUA को अपना “Information Security Policy” एवं “Data Privacy Policy” बनाने हेतु निदेशित किया गया है । UIDAI द्वारा उक्त दोनों Policies के Compliance से संबंधित बिन्दु को Requesting Entity (RE) Compliance Checklist V 3.0 में समाहित किया गया है । इस क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई0-गवर्नेंस विभाग द्वारा झारखण्ड के Aadhaar Ecosystem के लिए “Information Security Policy for Aadhaar Ecosystem, 2023” एवं “Data Privacy Policy for Aadhaar Ecosystem, 2023” बनाया गया है ।

4. **Information Security Policy for Aadhaar Ecosystem, 2023 :-** UIDAI द्वारा अधिसूचित “Aadhaar (Sharing of Information) Regulation, 2016” के तहत सभी नागरिकों की सूचना को सुरक्षित रखा जाना है । वैसे विभागों/संस्थाओं/कार्यालयों जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग से आधार प्रमाणीकरण की सुविधा ले रहे है, उनको नागरिको की सूचना को सुरक्षित रखने हेतु Information Security Policy for Aadhaar Ecosystem, 2023 में वर्णित सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। इस Policy के मुख्य बिन्दुएँ यथा -Human Resource, Asset Management, Cryptography and Security of Aadhaar Number, Physical and Environmental Security, Operational Security, Information Security Incident Management, Application Security इत्यादि हैं ।

5. **Data Privacy Policy for Aadhaar Ecosystem, 2023 :-** UIDAI द्वारा अधिसूचित Aadhaar (Data Security) Regulation, 2016 के तहत आधार से संबंधित डाटा और सेवा की उपलब्धता, गोपनीयता एवं अखंडता को सुनिश्चित की जानी है । इस संदर्भ में वैसे सभी विभागों/संस्थाओं/कार्यालयों जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग से आधार प्रमाणीकरण की सुविधा ले रहे हैं, उनको आधार से संबंधित डाटा और सेवा की उपलब्धता, गोपनीयता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने हेतु Data Privacy Policy for Aadhaar Ecosystem, 2023 में वर्णित दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है । इस Policy के मुख्य बिन्दुएँ यथा- Personnel Data Collection, Notice/Disclosure of Information to Aadhaar number holder, Obtaining Consent, Retention of Personnel Data, Data Security, Rights of Aadhaar Number Holder, Governance and Accountability Obligation, Transfer of Identity Information Outside India is Prohibited इत्यादि हैं ।

6. अतः सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, The Aadhaar and other Laws (Amendment) Act, 2019 के प्रावधानों के तहत UIDAI द्वारा अधिसूचित किये गए Aadhaar (Data Security) Regulation, 2016 एवं Aadhaar (Sharing of Information) Regulation, 2016 के आलोक में झारखण्ड सरकार के Aadhaar Ecosystem के लिए "Information Security Policy for Aadhaar Ecosystem, 2023" एवं "Data Privacy Policy for Aadhaar Ecosystem, 2023" की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के संलेख ज्ञापांक-1982 दिनांक 04-09-2023 के क्रम में दिनांक 05-10-2023 की बैठक के मद सं. - 11 में दी गई है ।

8. यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विप्रा भाल,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 19 - 50